108/4146

संख्या– /XVIII-(2)/2017-12(12)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अल्मोड़ा।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 देहरादूनः दिनांक 14 सितम्बर, 2017

विषयः– **प्राकृतिक आपदा, 2013 के उपरान्त पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यो के सम्बन्ध में परियोजना कियान्वयन इकाईयों द्वारा किये गये व्यय से सम्बन्धित लम्बित देयताओं के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–5274/तेरह–7/2013–14, दिनांक 05 जून, 2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुरोध किया है कि प्राकृतिक आपदा 2013 के उपरान्त पुनर्निर्माण एवं पुनर्वास कार्यो हेतु शासनादेश संख्या–2747/XVIII-(2)/16-12(12)/2016, दिनांक 07 नवम्बर, 2016 द्वारा स्वीकृत ₹ 496.25 लाख में से ₹ 144.20 लाख (₹ एक करोड़ चवालीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि व्यपगत हो गयी है। अतः उक्त धनराशि पुनः अवमुक्त करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि व्यपगत हुई कुल धनराशि ₹ 74,20,000 + 70,00,000 = 1,44,20,000 (₹ एक करोड़ चवालीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर अवमुक्त करते हुए इसे आहरित कर व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

1) अवमुक्त की जा रही धनराशि आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या–279/XVIII-(2)/14-15(32)/2013 A दिनांक 18 फरवरी, 2014 तथा शासनादेश संख्या–302/XVIII-(2)/14-15(32)/2013 A दिनांक 24 फरवरी, 2014 के द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया के अनुसार व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में योजनावार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की सूचना सहित नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3) शासन को प्रेषित प्रस्ताव में जिन योजनाओं पर अभी तक कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, उन पर कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।
4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गई है।
5) परियोजना कियान्वयन इकाईयों द्वारा किये गये कार्यो के सम्बन्ध में लम्बित देनदारियों का भुगतान जिलाधिकारी द्वारा पूर्ण सत्यापन व संतुष्टि के उपरान्त ही किया जायेगा।
6) उक्त स्वीकृति के सापेक्ष व्यय/समर्पित धनराशि का लेखा मिलान सम्बन्धित परियोजना कियान्वयन इकाई के मुख्य कार्य अधिकारी द्वारा महालेखाकार कार्यालय, उत्तराखण्ड देहरादून में सुनिश्चित कराया जायेगा।

7) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के लेखों का रख–रखाव एवं शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत वित्तीय नियमों/दिशा निर्देशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा इसके आडिट का पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित परियोजना कियान्वयन इकाई के मुख्य कार्य अधिकारी का होगा।

8) स्वीकृत धनराशि का दिनांक 31.03.2018 तक उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाये और यदि उक्त तिथि तक कोई धनराशि अवशेष रहती है तो वह उक्त तिथि तक शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

2– उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान संख्या–06 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2245–प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत–80–सामान्य–102–02–आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण–42–अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–100 मतदेय/वित्त अनु0–5/2017, दिनांक 01 सितम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– 715 (1)/XVIII-(2)/2017-12(12)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) ओबैराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– आयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।
6– वित्त अनुभाग–05, उत्तराखण्ड शासन।
7– निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8– निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– निदेशक, आई.आई.टी., रूड़की।
10– महाप्रबन्धक, बी.एस.एन.एल. देहरादून।
11– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रदीप कुमार शुक्ल)
अनु सचिव